भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1756

18 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

इस्पात स्क्रैप प्रसंस्करण केंद्र

1756. श्री धीरज प्रसाद साहू :
श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल :
डॉ. अमी याज्ञिक :
श्रीमती रंजीत रंजन :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने इस्पात स्क्रैप प्रसंस्करण केंद्र हैं ;
(ख) क्या देश में स्क्रैप प्रसंस्करण केन्द्र रेडियोधर्मी पहचान उपकरणों से सुसज्जित हैं ;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और
(घ) क्या सरकार के पास इस्पात की सीमित मांग और अनिश्चितताओं के बीच संघर्षरत उद्योगों, विशेषकर घरेलू स्क्रैप बाजार की चुनौतियों का समाधान करने हेतु सहायता प्रदान करने की कोई योजना है ?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क) से (ग): इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को भारत के राजपत्र में दिनांक 07 नवम्बर, 2019 की अधिसूचना सं. 354 के तहत अधिसूचित किया गया था। इस नीति में विभिन्न स्रोतों और विविध उत्पादों से सृजित फेरस स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के लिए भारत में धातु स्क्रैपिंग केन्द्रों की स्थापना को सुविधा प्रदान करने और बढ़ावा देने की रूपरेखा प्रदान की गई है। इस नीति में विखण्डन केंद्रों और स्क्रैप प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना, एग्रीगेटरों की भूमिका और विनिर्माता तथा मालिक के उत्तरदायित्वों हेतु मानक दिशानिर्देशों का प्रावधान किया गया है।

स्क्रैप केंद्रों को राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों की प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति के अनुसार, स्क्रैप केंद्र परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियमावली, 2004 का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे ।

(घ) : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

******